

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 73/21

GCMS NO 2021/116

1. प्रभातीलाल पुत्र गंगाराम
2. रामस्वरूप पुत्र गंगाराम
3. बुधराम तेजराम
4. महेन्द्र पुत्र तेजराम
5. नरेश पुत्र तेजराम
6. राकेश पुत्र तेजराम
7. नाथी बेवा तेजराम जातियान रैगर निवासीयान ग्राम सीतोड तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर


अपीलांट

बनाम



1. कल्लि पुत्री रघुनाथ
2. नारायणी बेवा रघुनाथ
3. भरत पुत्र रघुनाथ
4. शंकर पुत्र रघुनाथ
5. हरिराम पुत्र रघुनाथ
6. घनश्याम पुत्र नेतराम
7. पप्पू पुत्र नेतराम
8. सुरेश पुत्र नेतराम
9. नवल किशोर पुत्र नेतराम
10. कमला बेवा नेतराम
11. भरोसी पुत्र हरल्या
12. रामप्रसाद पुत्र हरल्या
13. राजू पुत्र दुर्गा
14. भोल्या उर्फ रामावतार पुत्र दुर्गा
15. मथुरी बेवा दुर्गा
16. केसरा उर्फ केसवा पुत्र काल्या (मृतक)
- 16/1. रामचरण पुत्र केसरा
- 16/2. रामी बेवा केसरा
- 16/3. निरमा पुत्री केसरा
17. हरि पुत्र हीरया
18. गैदया पुत्र चून्या
19. केशरया पुत्र चून्या
20. सूरजमल पुत्र चंदा(मृतक)
- 20/1. रामप्रसाद पुत्र सूरजमल(मृतक)
- 20/1/1. धनराज पुत्र रामप्रताप
- 20/1/2. धर्मराज पुत्र रामप्रताप
- 20/1/3. टीकाराम पुत्र सूरजमल
21. कजोड पुत्र हरल्या





राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

22. सुरेश पुत्र हरकेश
23. शिवदयाल पुत्र हरकेश
24. संतोष पुत्र हरकेश
25. घनश्याम पुत्र रतन्या
26. दिनेश पुत्र रतन्या
27. मोती पुत्र हरल्या
28. बाबू पुत्र हरल्या
29. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार वजीरपुर

रेस्पो0

अभिभाषक अपीला0 श्री शिवकुमार शर्मा
अभिभाषक रेस्पो0 श्री शिवचरण शर्मा, श्री तरुण शर्मा



अपील संख्या - 76/22


GCMS NO 2022/133

भरोसी पुत्र हरल्या जाति रैगर निवासी सीतोड तहसील बामनवास जिला सवाई माधोपुर

अपीलांट

बनाम

1. कल्ली पुत्री रघुनाथ
2. नारायणी बेवा रघुनाथ
3. भरत पुत्र रघुनाथ
4. शंकर पुत्र रघुनाथ
5. हरिराम पुत्र रघुनाथ
6. घनश्याम पुत्र नेतराम
7. पप्पू पुत्र नेतराम
8. सुरेश पुत्र नेतराम
9. नवल किशोर पुत्र नेतराम
10. कमला बेवा नेतराम
11. भरोसी पुत्र हरल्या
12. रामप्रसाद पुत्र हरल्या
13. राजू पुत्र दुर्गा
14. भोल्या उर्फ रामावतार पुत्र दुर्गा
15. मथुरी बेवा दुर्गा
16. मोती पुत्र हरल्या
17. हरि पुत्र हीरया
18. गेदया पुत्र चून्या
19. केशरया पुत्र चून्या
20. रामप्रसाद पुत्र सूरजमल
21. धनराज पुत्र रामप्रताप
22. टीकाराम पुत्र सूरजमल


राजस्व जमील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

23. कजोड पुत्र हरल्या
24. सुरेश पुत्र हरकेश
25. शिवदयाल पुत्र हरकेश
26. संतोष पुत्र हरकेश
27. घनश्याम पुत्र रतन्या
28. दिनेश पुत्र रतन्या
29. लीला बेवा रतन्या
30. बाबू पुत्र हरल्या
31. रामचरण पुत्र केसरा उर्फ केसवा
32. रामी देवी पत्नि केसरा उर्फ केसवा
33. निरमा पुत्र केसरा उर्फ केसवा
34. रामस्वरूप पुत्र गंगाराम
35. बुधराम पुत्र तेजराम
36. मेहन्द्र पुत्र तेजराम
37. नरेश पुत्र तेजराम
38. राकेश पुत्र तेजराम
39. नाथी पत्नि तेजराम
40. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार बामनवास

रेस्पो०

(अपीले विरुद्ध मु०नं० 46/10 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास)


अभिभाषक अपीला० श्री तरुण शर्मा
अभिभाषक रेस्पो० श्री शिवकुमार शर्मा

दिनांक 10.02.2025


निर्णय

प्रस्तुत अपीले अपीला० की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.17 न्यायालय उपजिला कलक्टर, बामनवास पेश की है ।

प्रस्तुत दोनो अपीले एक ही निर्णय व डिक्री के विरुद्ध पेश की गई है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी रघुनाथ पुत्र रामसुखा ने दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि साबिक आराजी ख०न० 294/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 294/2 रकबा 10 विस्वा, 289 रकबा 1 बीघा मौजा ग्राम सीतोड तहसील बामनवास वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे अन्य किसी का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम सीतोड मे कुछ समय पहले सेटलमेंट कार्य सम्पन्न हुआ। जिसमे भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा वादी की खातेदारी की भूमि आराजी साबिक ख०न० 294/1, 294/2, 289 के हाल नवीन नम्बर 672 रकबा 64 ऐयर, 673 रकबा 36 ऐयर, 683 रकबा 37 ऐयर कायम किये जिसमे से ख०न० 672 रकबा 64 ऐयर की खातेदारी प्रतिवादी न० 1 ता 3 के पिता हरल्या एवं प्रतिवादी न० 4 व 5 की खातेदारी मे वादी का 16 ऐयर रकबा शामिल कर दिया। इसी प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा वादी की खातेदारी के ख०न० 682



राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

रकबा 20 ऐयर जो कि वादी के ख0न0 294/1 से बनना सावित होता है। जिसकी खातेदारी सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी न0 9 के नाम दर्ज कर दी एवं मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाया है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा हाल ख0न0 683 रकबा 37 ऐयर की खातेदारी प्रतिवादी न0 9 के नाम दर्ज कर दी जबकि संपूर्ण रकबे पर आज भी वादी का कब्जा है एवं वादी के ख0न0 294/6 रकबा 1 बीघा भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा हाल ख0न0 667 रकबा 14 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। उक्त रकबा नहीं मिलने उज्रदारी अधिनस्थ न्यायालय में की गई। जिस पर अन्य खातेदारन के बयान हुए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया। वादी द्वारा काफी तलाश करने पर उज्रदारी के निर्णय की जानकारी होने पर दावा पेश किया गया। वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम हो जाने के कारण जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा है। प्रतिवादीगण द्वारा आराजी उनके नाम होने के कारण दिनांक 20.6.10 को ऐलानिया धमकी दी गई कि उक्त जमीन पर हम काशत करेगे। इस कारण दावा पेश करना लाजमी हुआ। अतः दावा वादी खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर घोषित किये जावे कि हाल ख0न0 682 रकबा 20 ऐयर, 683 रकबा 37 ऐयर, 667 रकबा 14 ऐयर, 672 में से रकबा 16 ऐयर रकबा वादी की खातेदारी में दर्ज कर प्रतिवादीगण की खातेदारी में से हजफ किया जावे। इसी अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरुस्ती की जावे। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे वादी की आराजीयात के उपयोग उपभोग एवं कब्जे काशत में बाधा उत्पन्न नहीं करे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादी द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी का वाद पत्र डिक्री किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं होने के कारण धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अपील में साथ संलग्न कर अपील प्रस्तुत की गई है।




अपीले पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्प0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री विधि विरुद्ध होने एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का न तो अवलोकन किया गया ना ही रिकार्ड पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि आराजी हाल ख0न0 667 रकबा 14 ऐयर, 672 रकबा 12 ऐयर की जमाबंदी उपलब्ध नहीं है और अगर है तो उक्त ख0न0 के खातेदार प्रभातीलाल, नेतराम, रामस्वरूप को बिना सुने बिना विधिवत नोटिस दिये बिना सुनवाई का अवसर दिये निर्णय व डिक्री पारित कर कानूनी भूल की है। दावे में प्रतिवादी संख्या 9 सूरजमल पुत्र चंदा व उसके वारिसान रामप्रताप व टीकाराम को गलत रूप से जाति रैगर बता रखा है जबकि ये जाति से गुर्जर है। रेस्प0 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात में भी इनकी जाति गुर्जर ही दर्शित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तामिल मानकर निर्णय व डिक्री पारित की है जो अपास्त योग्य है। निर्णय व डिक्री को देखने से स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा स्वविवेक काम में नहीं लेकर निर्णय पारित किया है।



राजेश अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर


विवादित आराजीयात बामनवास मे स्थित है। जिसके कारण तहसीलदार बामनवास पक्षकार बनाना चाहिए था ना कि तहसीलदार वजीरपुर। रेस्पों संख्या 1 रघुनाथ का दिनांक 14.5.16 को, नेतराम पुत्र हरल्या का दिनांक 19.4.12 को, हीरया पुत्र चुन्या का दिनांक 20.11.15 को हरकेश पुत्र हरल्या का सन 2016 मे देहावसान हो चुका है जिनके वारिसान को अपीलार्थी ने अपील मे रेस्पों पक्षकार बनाया है ऐसे मृतक व्यक्तियों के विरुद्ध निर्णय व डिक्री पारित कर भारी कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी वाईज निर्णय न पारित कर मनमाने तरीके से राजस्व रिकार्ड के विपरीत विधि विरुद्ध निर्णय पारित किया है। सही तथ्य यह है कि आराजी ख०न० 672 रकबा 64 ऐयर की खातेदारी भू प्रबंध विभाग द्वारा गलत रूप से नेतराम,भरोसी,रामप्रसाद पुत्रान हरल्या, दुर्गा,केसरा,कजोड पुत्रान कल्या, हरकेश,रतन्या,बाबू पुत्रान हरल्या रैगर के नाम दर्ज कर दी थी। जिसके बावत एक दावा प्रभाती,नेतराम,रामस्वरूप पिसरान गंगाराम रैगर की और से न्यायालय उप जिला कलेक्टर गंगाराम सिटी के यहाँ सन 1997 मे प्रस्तुत किया था जो उपखण्ड न्यायालय बामनवास नवसृजित हो जाने से प्रकरण संख्या 329/02 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 29.8.16 को किया जाकर आराजी ख०न० 672 रकबा 64 ऐयर का प्रभाती,तेजराम,रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया व राजस्व रिकार्ड मे अमल किया गया। उक्त आराजी सन 2006 मे अपीलार्थी के नाम थी फिर भी रेस्पों ने आपस मे साजकर तथ्यों को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय के सक्षम गलत तथ्य प्रस्तुत करे व स्वच्छ हृदय से वाद प्रस्तुत नही कर तथ्यों को छिपाकर अधिनस्थ न्यायालय से गलत निर्णय पारित करवाया गया है। जो निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाने तरीके से लोक अदालत सीतोड मे बिना पक्षकारान को नोटिस दिये निर्णय पारित कर दिया जबकि लोक अदालत मे केवल समझौता के अनुसार ही निर्णय पारित करना चाहिए था। लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने विधि विरुद्ध निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नही किया कि ख०न० 672 रकबा 64 ऐयर का है और उसमे से कोन सा 12 ऐयर रकबा खातेदारी मे दर्ज किया जावेगा। ऐसे वेग तथ्यों पर निर्णय पारित कर कानूनी भूल की है। अधिनस्थ न्यायालय मे अपीलार्थी पक्षकार नही थे अपीलार्थी बुधराम का पिता करीब दो वर्ष पूर्व फौत हो चुका है। निर्णय व डिक्री मे अपीलार्थीगण प्रभावित है। इसलिए अपील प्रस्तुत करने की अनुमति हेतु कानून के तहत धारा 96 के प्रार्थना पत्र के द्वारा चाही गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा फोटो स्टेट दस्तावेजात को साक्ष्य मे ग्रहण कर कानूनी भूल की है। अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी अपीलार्थीगण को दिनांक 10.11.21 को हुई। इससे पूर्व अपीलार्थीगण को निर्णय की जानकारी नही थी क्योकि अधिनस्थ न्यायालय मे पक्षकार नही थे। फिर भी धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न कर डिले को कण्डोन किया जाकर अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 46/2010 निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.17 को निरस्त फरमाया जावे।

रेस्पों अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस कथन किया कि साबिक आराजी ख०न० 294/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 294/2 रकबा 10 विस्वा, 289 रकबा 1 बीघा मौजा ग्राम सीतोड तहसील बामनवास रेस्पों/वादी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी है। जिसमे अन्य


राजस्व जमीन प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

किसी का कोई लेना देना नहीं है। ग्राम सीतोड में कुछ समय पहले सेटलमेंट कार्य सम्पन्न हुआ। जिसमें भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा रेस्पो/वादी की खातेदारी की भूमि आराजी साबिक ख0न0 294/1, 294/2, 289 के हाल नवीन नम्बर 672 रकबा 64 ऐयर, 673 रकबा 36 ऐयर, 683 रकबा 37 ऐयर कायम किये जिसमें से ख0न0 672 रकबा 64 ऐयर की खातेदारी प्रतिवादी न0 1 ता 3 के पिता हरल्या एवं प्रतिवादी न0 4 व 5 की खातेदारी में रेस्पो/वादी का 16 ऐयर रकबा शामिल कर दिया। इसी प्रकार सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा रेस्पो/वादी की खातेदारी के ख0न0 682 रकबा 20 ऐयर जो कि वादी के ख0न0 294/1 से बनना साबित होता है। जिसकी खातेदारी सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा प्रतिवादी न0 9 के नाम दर्ज कर दी एवं मिलान क्षेत्रफल भी गलत बनाया है। सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा हाल ख0न0 683 रकबा 37 ऐयर की खातेदारी प्रतिवादी न0 9 के नाम दर्ज कर दी जबकि संपूर्ण रकबे पर आज भी रेस्पो/वादी का कब्जा है एवं रेस्पो/वादी के ख0न0 294/6 रकबा 1 बीघा भू प्रबंध अधिकारियों द्वारा हाल ख0न0 667 रकबा 14 ऐयर को सिवायचक दर्ज कर दिया जिसका सेटलमेंट अधिकारियों को कोई अधिकार नहीं था। उक्त रकबा नहीं मिलने उज्जदारी अधिनस्थ न्यायालय में की गई। जिस पर अन्य खातेदारों के बयान हुए परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित नहीं किया गया। वादी द्वारा काफी तलाश करने पर उज्जदारी के निर्णय की जानकारी होने पर दावा पेश किया गया। अर्थात् आराजीयात की खातेदारी प्रतिवादीगण के नाम हो जाने के कारण जबरन वादी की आराजी पर कब्जा करने पर आमादा हो जाने पर एवं ऐलानिया धमकी दिये जाने पर अधिनस्थ न्यायालय में विधि के अनुसार ही वाद पेश किया गया था। विवादित आराजीयात से अपीलांट को किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं होने से उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलांट का कथन रहा कि विवादित आराजीयात की खातेदारी अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 329/02 दर्ज किया जाकर निर्णय दिनांक 29.8.16 को किया जाकर आराजी ख0न0 672 रकबा 64 ऐयर का प्रभाती, तेजराम, रामस्वरूप को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। इसके बाबत उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई निर्णय न्यायालय हाजा के समक्ष पेश नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड की जाँच कर विधि अनुसार निर्णय पारित किया है। वादी/रेस्पो0 को साबिक की तुलना में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में भूमि कम दर्ज है। जो भू प्रबंध विभाग द्वारा कार्यवाही के दौरान की गई है इसके संबंध में प्रतिवादीगण ने भी वादी के नाम भूमि दर्ज करने की सहमति प्रदान की गई है एवं बयान दर्ज कराये गये हैं। वादी रघुनाथ को ख0न0 294/6 रकबा 1 बीघा का आवंटन हुआ है। नकल जमाबंदी सम्वत 2024-27 में भी वादी रामसुखा के नाम साबिक ख0न0 294/1 रकबा 1 बीघा 18 विस्वा, 294/2 रकबा 10 विस्वा की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। तहसीलदार बामनवास की रिपोर्ट में भी भूमि ख0न0 682 रकबा 0.20 है0, 683 रकबा 0.37 है0, 667 रकबा 0.14 है0 एवं 672 रकबा 0.64 है0 में से 16 ऐयर के स्थान पर 12 ऐयर भूमि वादी रघुनाथ की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की भूमि माना है। इसी के अनुरूप अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादी को ग्राम सीतोड स्थित भूमि ख0न0 682 रकबा 0.20 है0, 683 रकबा 0.37 है0, 667 रकबा 0.14 है0 एवं 672 में से 12 ऐयर भूमि का खातेदार विधि के अनुरूप ही घोषित किया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी की सम्पूर्ण




राजस्व अमील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

साक्ष्य प्राप्त की जाकर निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो विधि के अनुरूप है। अतः अपीलांत की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागणों की बहस पर मनन किया। अपीलाधीन आदेश एवं अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि आराजीयात ख0न0 672 रकबा 0.64 ऐयर की खातेदारी मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2064-67 ग्राम सीतोड के कालेम संख्या 4 में प्रभाती, तेजराम, रामस्वरूप पिसरान गंगाराम जाति रैगर सा.देह के नाम दर्ज रिकार्ड है इसी अनुसार आराजीयात ख0न0 667 रकबा 0.14 ऐयर की खातेदारी प्रभातीलाल पुत्र गंगाराम हिस्सा 1/3 राहिन सवाई माधोपुर सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा पिपलाई मुर्तहीन तेजराम, रामस्वरूप पिसरान गंगाराम हिस्सा 2/3 जाति रैगर सा.देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली में उपलब्ध न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के प्रकरण संख्या 329/02 तारीख फैसला 29.8.06 उनवानी प्रभाती लाल वगै0 बनाम नेतराम वगै0 के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि आराजीयात ख0न0 672 रकबा 64 ऐयर का खातेदार प्रभातीलाल, तेजराम, रामस्वरूप पिसरान गंगाराम जाति रैगर निवासी सीतोड को खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। इससे स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात में अपीलांत का हक निहित है। वादी/रेस्पो0 द्वारा अपीलांत को अधिनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्तियों के पक्ष में डिक्री किया गया है साथ ही प्रतिवादी सूखेमल(मृतक) के वारिसान रामप्रताप, टीकाराम की जाति के आगे रैगर का अंकन है जबकि अपीलांत द्वारा प्रस्तुत अपील में संस्थित पक्षकार रामप्रताप व टीकाराम की जाति गुर्जर दर्शाई गई है। इससे स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री जल्दबाजी में पारित की गई है। जबकि कानूनन डिक्री पारित करने से पूर्व विवादित आराजीयात के खातेदारान की जाँच कर उनको साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिया जाकर ही निर्णय पारित किया जाना विधिक होता है। अतः उक्त विवेचन से प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपीले अपीलांतान रिमाण्ड योग्य होने से रिमाण्ड की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के मुकदमा न0 46/10 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21.6.17 को अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को इस निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांत एवं मृतक रघुनाथ, दुर्गा, हीरा, रतन्या के वारिसान को दावे में आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर उभयपक्ष को साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष को पाबन्द किया जाता है कि वे अधिनस्थ न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास के यहाँ दिनांक 17.03.2025 को उपस्थित होना सुनिश्चित करे। निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पत्रावली में शामिल की जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.02.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कान्त बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर